बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, तिथि 02.07.21

संख्या–7/स्था0–04–02/2017 सा0प्र0वि0 6515 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **माननीय उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2021** बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।**–(1) यह नियमावली **बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2021** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

   (4) यह नियमावली ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जिसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया हो।

2. **बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2020 द्वारा बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली, 2019 के नियम–10 के बाद अंतःस्थापित नियम–10ए को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

   "10ए– इस नियमावली में इसके विरूद्ध प्रावधान होते हुए भी पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को यह चयन का अधिकार होगा कि वे अपने स्वविवेक से पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत् सहायक अथवा ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी के कर्मी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर घरेलू सहायता हेतु विशेष निजी सहायक या घरेलू सहायक के रूप में रख सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को यह सुविधा उनके किसी अन्यत्र स्थान पर पदस्थापन होने पर भी उपलब्ध होगी, जहाँ वे दूसरे पद पर नियुक्ति स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ प्रतिनियुक्त कर्मी के वार्धक्य सेवानिवृति तक उपलब्ध होगी।"

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

2/7/21

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/Domestic Help Rules, 2021/ Hindi Notification

ज्ञापांक–7/स्था0–04–02/2017 सा0प्र0वि0......6515......../पटना–15, दिनांक...02.07.21

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना और ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को इसकी सी0डी0 सहित द्विप्रतिक प्रतियों में असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाएँ।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–02/2017 सा0प्र0वि0......6515......./पटना–15, दिनांक...02.07.21...

प्रतिलिपि–महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–07 दिनांक 02.07.2021 के प्रसंग में/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/सभी विभागों और सूचना प्रावैधिकी प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सरकार के उप सचिव।

Government of Bihar

General Administration Department

Notification

Patna-15, Date..02..07..21

No-7/Ashta.-04-02/2017GAD..6515../In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court (Amendment) Rules, 2021:-

1. **Short title, extent, commencement and application.**-(1) These Rules may be called the 'Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of the High Court (Amendment) Rules, 2021'.

   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

   (3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

   (4) The Rules shall apply to a person who has held office either as a Chief Justice or as a Judge of the Patna High Court.

2. **Rule-10 A of The Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court Rules, 2019 as inserted by The Bihar Domestic Help to Former Chief Justices and Former Judges of High Court (Amendment) Rules, 2020 shall be substituted as follows:-**

   "10A-Notwithstanding anything to the contrary in these Rules, a former Chief Justice of Patna High Court will have the choice to keep a serving assistant or Group 'C' or Group 'D' employee of Patna High Court with him on deputation as his special Personal Assistant or domestic help. This facility from Patna High Court shall remain available to the former Chief Justice at the place where he may have accepted appointment to another post. Services of such deputed staff shall remain available with the former Chief Justice till the superannuation of the deputed staff."

By order of the Governor of Bihar

2/7/21

(Ghufran Ahmad)

Deputy Secretary to the Govt.

D/DRIVE/SEC-07/Domestic Help Rules, 2021/English Notification

Memo no.-7/Ashta.-04-02/2017GAD ..6515....... /Patna-15, dated....02..07..21

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Deputy Secretary to the Govt.